सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 03, गुरूवार, शाके 1944-अगस्त 25, 2022

Bhadra 03, Thursday , Saka 1944- August 25, 2022

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 24, 2022

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1792 :-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत ऋषभदेव (जिला उदयपुर) एवं निम्न समीपस्त ग्रांम को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती हैः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	उदयपुर	ऋषभदेव	ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्रांम धूलेव, भाउवा एवं ग्रांम पंचायत थाणा के राजस्व ग्रांम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 13,539) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऋषभदेव (जिला उदयपुर), एवं राजस्व ग्रांम धूलेव, भाउवा एवं ग्रांम पंचायत थाणा के राजस्व ग्रांम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।